फर्द अहकाम

मन फूली देवी आदि बनाम V/S सोहन आदि

नाम न्यायालय	उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) — प्रार्थनापत्र
केस संख्या	60/2016

...र व तारीख ...कुम जो इस ...न को तामील ... जारी हुए

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		25-5-18 वकील उभयपक्ष उपस्थित। गत आदेश की पालना में पत्रावली हलवाद के साथ आगामी लोक अदालत [illegible] आपके द्वार 2018 कैम्प [illegible] में दिनांक 28-5-18 को पेश हो तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
3।	Amit/Adv	28/05/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने ख.नं. 163 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 155 रकबा 12 बिस्वा, 156 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा का बताया है, जबकि उक्त चारों खातेदारी खसरा नम्बरों में से कितना कितना रकबा कम कर खसरा नम्बर 355 में मिलाया है यह स्पष्ट नहीं किया है। मौजूदा रास्ता जो हाल ख.नं. 355 गैर मुमकिन रास्ता के रूप में जमाबन्दी संवत 2069 व नक्शा ट्रेस में दर्शाया (हस्ताक्षर)	सोहन; नि. फूल्ला...; नि. सुल्तान...; मांगरा...

फर्द अहकाम

मनफूली देवी आदि V/S मोहनकोर आदि
बनाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
केस संख्या 60/2016 प्रार्थनापत्र

सत्यमेव जयते
Self Copy - Not Official

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	28/05/18	गया है मौके पर चालू हालत में है, जिस पर किसी तरह की रुकावट करने का अधिकार दोनो पक्षों को नही है। यह भी कि ख.नं. 355 रास्ता गांव पनारी से शुरु होकर पूर्व से पश्चिम की तरफ जहां समाप्त होता है वहां अप्रार्थीगण की भूमि है यदि अप्रार्थी का यह रिकार्डेड रास्ता समाप्त किया जाता है तो अप्रार्थी को परेशानी होगी। रास्ता अत्यधिक आवश्यक है। अतः रास्ता के मूल विवाद को देखते हुए दोनो पक्षों का अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ख.नं. 355 रास्ता को किसी प्रकार से बन्द नही करें, आवागमन में रुकावट नही करें, रास्ता भूमि में पिल्लर लगाकर तारबन्दी नही करें, फसल काश्त नही करें। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते है कि ख.नं. 355 रास्ता की भूमि को पूर्ण अतिक्रमण मुक्त करावें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। निर्णय मय आज सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
28/5/18

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2013
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
विराट नगर, जयपुर